



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 17.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Md. Nadimul Haque** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 912 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

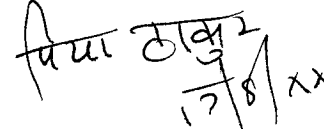
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	MD. TABISH ALAM	MD. TOUQIR ALAM, MOB- 9883126136	1	FORT WILLIAM, KOLKATA
2	MARYUM HOSSAIN	SK. ATISHAN HOSSAIN, MOB- 9830977758	1	BALLYGUNGE
3	MOHAMMAD ALIF AHMED	SK. MUZAFFAR AHMAD, MOB- 9674156312	1	BALLYGUNGE
4	KASHIFA MAHMOOD	MAHMOOD ALAM, MOB- 8910905677	4	ARMY BARRACKPORE
5	MAIMOONA AHMED	MAQBOOL AHMED MAZHARI, MOB- 9330461948	2	COMMAND HOSPITAL
6	ANWESHA MAJUMDAR	SANKAR MAJUMDAR, MOB- 9836959106, 9073239902	5	COMMAND HOSPITAL
7	SAKSHAM JAISWAL	ANIL JAISWAL, MOB- 8697242013, 8910516307	1	BAMANGACHI
8	RANOBIR DAS	RAMANANDA DAS, MOB- 9836198435	1	BALLYGUNGE
9	DIGANTA KUNDU	JYOTIRMOY KUNDU, MOB- 9477073811, 9831759492	5	AFS BARRACKPORE
10	AKHILESH TIWARY	LOKNATH TIWARY, MOB- 9831334243	4	BAMANGACHI

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Md. Nadimul Haque माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

